संख्याः7/1221/तीस-1-2014-5(47)/2013

प्रेषक,

योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 17 दिसम्बर, 2014

विषयः जनपद आजमगढ़ में उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम कार्यालय के पत्र संख्या-415बी/डी0ए0/पूर्व/14-09जे.ई.(टी)/वि0/12-13, दिनांक 04 अगस्त, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ में बस स्टेशन के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 1368.26 लाख के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा संलग्न लागत विवरण के अनुसार परीक्षणोंपरान्त आंकलित की धनराशि रू0 1341.90 लाख में से (भवन के बाहर स्ट्रक्चर ग्लेजिंग मद में आंकलित धनराशि रू0 10.46 लाख को घटाकर शेष धनराशि रू0 1331.44 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी0-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में निहित निर्देशों के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 में प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0 532.576 लाख (रूपये पांच करोड़ बत्तीस लाख सत्तावन हजार छः सौ मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं-

1- प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है। उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था से सम्पर्क करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- उक्त आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपोजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

3- परियोजना का अंतिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जायेगा।

4- परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित किये जाने का दायित्व उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड का होगा।

6- परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

7- प्रायोजनान्तर्गत एयर कन्डीशन, फाल्स सीलिंग, लिफ्ट एवं एल्युमिनियम आदि की दरें बजटरीय आफर के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा इस प्रकार के

http://shrisonadesh.up.nic.in/

कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त की जायेगी। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः कार्यदायी संस्था से अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

8- प्रायोजनान्तर्गत परिसर के ठीक पीछे सिंचाई विभाग के अधीन उपलब्ध नहर के किनारे की अप्रयुक्त भूमि में से 15 मी0 चौड़ाई की लगभग 202 मी0 पट्टिका प्रस्तावित बस स्टेशन में आमेलित किये जाने का उल्लेख किया गया है, इस सम्बन्ध में सिचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

9- उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

11- परियोजना लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों में कोई उल्लेखनीय परिर्वतन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार में वृद्धि, एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राडंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 03 माह के अन्दर शासन के माध्यम से समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

12- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से परिवहन निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

13- प्रश्नगत परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था एवं उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा माइलस्टोन्स निर्धारित किया जायेगा और निर्धारित माइलस्टोन्स व तद्नुसार कार्यो की प्रगति से समय-समय पर शासन को अवगत कराया जायेगा। निर्माण कार्यो को समयबद्धता से पूर्ण कराया जाए साथ ही गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

14- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का मासिक विवरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग के संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.07.2014 में दिए गये निर्देशों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी किये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

15- उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा। उक्त धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाएगा।

http://shrisamadesh.up.nic.in/

16- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम में अंश पूंजी विनियोजन-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या-ई-9-468/दस-2014 दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्याः1221(1)/तीस-1-2014-5(47)/2013:तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ।
6. वित्त नियन्त्रक,परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वित्त नियन्त्रक, उ0प्र0रा0स0 परिवहन निगम मुख्यालय,लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-4।
9. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
10. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
11. गाई फाइल।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
उप सचिव।

//http://shasanadesh.up.nic.in/